तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3044 / 2005 / नागौर** **भूराराम बनाम गोपसिंह**	
2.12.20	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री एस0पी0 सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2005 शीर्षक भूराराम बनाम गोपसिंह में पारित आदेश दिनांक 24–03–2005 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि निगराकार/वादी द्वारा सहायक कलक्टर, मुख्यालय, नागौर के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत एक वाद प्रस्तुत किया। इस वादपत्र के साथ में एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को सहायक कलक्टर, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 6–7–2004 से खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–3–2005 के द्वारा अपील को खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 504 में से 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28–4–1994 प्रार्थी ने क्रय किया है और जमाबंदी में खसरा नम्बर 835/504 का वह अभिलिखित खातेदार दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का अभिलिखित खातेदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु हमारे पक्ष में हैं, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाये और निगरानी को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 3044 / 2005 / नागौर** **भूराराम बनाम गोपसिंह**	
	अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि समान प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी संख्या 3041/2005 अनुवानी पेमाराम बनाम गोपसिंह प्रस्तुत की गई थी जो माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 13–10–2017 से खारिज की जा चुकी है। अतः यह निगरानी भी खारिज योग्य है। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 6–7–2004 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील संख्या 6/2005, 7/2005, 8/2005, 9/2005, 10/2005 प्रस्तुत की गई थीं और राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 24–3–2005 के द्वारा इन सभी अपीलों को खारिज किया गया है। इन्हीं में से अपील संख्या 7/2005 के विरुद्ध यह वर्तमान निगरानी है। पाया जाता है कि सहायक कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 6–7–2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष पूर्व में निगरानी संख्या 3041/2005 शीर्षक पेमाराम बनाम गोपसिंह आदि प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय मण्डल की एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 13–10–2017 में यह माना है कि सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय समवर्ती निर्णय हैं और दोनों समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नहीं है। स्पष्ट है कि पूर्व में माननीय मण्डल के स्तर से राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 13–10–2017 का परीक्षण हो चुका है और वर्तमान निगरानी भी राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 13–10–2017 के विरुद्ध ही है, अतः हस्तगत निगरानी के माध्यम से निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः यह निगरानी **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	